महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 115वीं बैठक

कार्यवृत्त(Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 115वीं बैठक दिनांक 18.07.2026 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, कुलगुरू महोदय	अध्यक्ष
2. प्रो. दुष्यन्त त्रिपाठी, (कुलगुरू द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
3. प्रो. ऋतु माथुर (कुलगुरू द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
4. प्रो. गुलाब सिंह चौहान, (कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
5. डॉ. दिग्विजय सिंह शेखावत (ऑनलाईन) (राज्यसरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
6. श्री लालाराम जी बैरवा, माननीय विधायक (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
7. श्री वीरेन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
8. श्री शक्ति सिंह राठौड़, संभागीय आयुक्त, अजमेर । (प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
9. डॉ. मुकेश कुमार शर्मा, (ऑनलाईन) संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा) (प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षाविभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
10. डॉ. फूल सिंह, संयुक्त निदेशक (प्रमुख शासन सचिव, आयोजनाविभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
11. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, कुलसचिव	सदस्य-सचिव

<u>निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित रहे:-</u>

12. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य

बैठक में उपस्थित सदस्यों का कुलगुरू महोदय ने स्वागत किया तदुपरान्त कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 01	प्रबन्ध बोर्ड की 114वीं बैठक दिनांक 17.03.2026 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी सम्मानीय सदस्यों को कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13 ( )शैक्ष-I/मदसविवि/2026/10156-168 दिनांक 18.03.2026 के द्वारा प्रेषित की गई ।	शैक्षणिक
निर्णय	उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।	
मद सं. 02	प्रबन्ध बोर्ड की 114वीं बैठक दिनांक 17.03.2025के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना (कार्यसूची का परिशिष्ट-01)	शैक्षणिक
निर्णय	उक्त अनुपालना रिपोर्ट की पुष्टि की गयी ।	
मद सं. 03	विद्या परिषद् की 82वीं बैठक दिनांक 18.06.2026के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । (कार्यसूची का परिशिष्ट-02)	शैक्षणिक
निर्णय	उक्त कार्यवृत्त पर विचार-विमर्श कर दिनांक 16.07.2026 एवं क्रमांक एफ 13 ( )शैक्ष/मदसविवि/2026/4072-4129 दिनांक 17.07.2026 को जारी किये गये शुद्धि-पत्रों के साथ उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।	
मद सं. 04	कुलगुरू महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:- (1) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के आकस्मिक निधन हो जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गई :- 1. कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2025/	संस्थापन

38344-351 दिनांक 19-12-2025 के द्वारा स्व0 श्री शंकर सिंह, सहायक कर्मचारी के आश्रित पुत्र श्री भवानी सिंह रावत को सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।**(कार्यसूची का परिशिष्ट-03)**

2. कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2026/2146-155 दिनांक 20-01-2026 के द्वारा स्व0 श्री राजकुमार खाण्डे, वरिष्ठ सहायक के आश्रित पुत्र श्री रितेश खाण्डे को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-04)**
3. कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ.1( )संस्था/मदसविवि/ 2026/ 173407-15 दिनांक 22-05-2026 के द्वारा स्व0 श्री हरि शंकर, सहायक कर्मचारी के आश्रित पुत्र श्री बालगोविन्द यादव को सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।**(कार्यसूची का परिशिष्ट-05)**

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19(18) के तहत कुलगुरू महोदय द्वारा प्रदत्त उपरोक्तानुसार आदेशों एवं तदनुसार जारी कार्यालय आदेशों (क्रम सं. 01 से 03 तक) की पुष्टि हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय — पुष्टि की गयी ।

(2) प्रतिवेदन है कि राजस्थान सरकार द्वारा विद्यमान पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु समय-समय पर महंगाई राहत की दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पेंशन नियम 1990 के विनियम 29 (बी) के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों को विश्वविद्यालय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु प्रवृत्त किये जाने के संबंध में कुलगुरू द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत स्वीकृत निम्नांकित कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुष्टि/ अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है **(कार्यसूची का परिशिष्ट-06)**:-

वित्त एवं लेखा

S.No.	Raj State Govt. Order	MDSU Order	w.e.f.	Rate of D.R.	Pay comm.
I	No. F.12(8)FD (Rules)/2017 Dated 23-04-26	No.F 6(41) A&F/MDSU/2026/Rajkaj ref No.22061489 Dt. 08-05-26	01-01-26	58% to 60%	7th

2	No. F.12(3)FD (Rules)/2013 Dated 03-06-26	No.F 6( ) A&F/ MDSU/2026/615 Dt. 12-06-26	01-01-26	257% to 262%	6th

निर्णय पुष्टि की गयी ।

(3) प्रतिवेदन है कि राजस्थान सरकार द्वारा विद्यमान राजकीय कर्मचारियों हेतु समय-समय पर महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के महंगाई भत्ते नियमों के नियम 5 के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय Ordinance Governing Services Conditions etc. of University Teachers & Employeesके Dearness Allowance Rules अध्याय के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत स्वीकृत एवं जारी निम्नांकित कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रतिवेदित है:-(कार्यसूची का परिशिष्ट-09 एवं 10):- — वित्त एवं लेखा

S.No.	Raj State Govt. Order	MDSU Order	w.e.f.	Rate of D.R.	Pay comm.
1	No. F.6 (3) FD (Rules) /2017 Dated 23-04-26	No.F 6() A&F/ MDSU/2026/ Rajkaj ref No. 22098161 Dt. 08-05-26	01-01-26	58% to 60%	7th
2	No. F.6(1)FD (Rules)/2008 Dated 03-06-26	No.F 6( ) A&F/ MDSU/2026/ 628 Dt. 29-06-26	01-01-26	257% to 262%	6th

निर्णय पुष्टि की गयी ।

मद सं. 05 — विधि अनुभाग

श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री राधाकिशन मार्फत महामंत्री, हिन्द मजदूर सभा कार्यालय 626/24 "सी" जादम भवन, नारीशाला रोड, शक्ति नगर, अजमेर बनाम रजिस्ट्रार, म.द.स. विश्वविद्यालय, कायड़ रोड, अजमेर प्रकरण में माननीय श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर के अवार्ड दिनांक 19.06.2017 एवं 14.06.2019 के क्रम में प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक में रखे जाने हेतु प्रतिवेदन।

श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री राधाकिशन को दिनांक 18.04.1988 को चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्ति दी गई। इस दौरान कार्मिक को 100/- रुपये प्रतिदिन व अधिकतम 26 दिन का पारिश्रमिक प्रतिमाह

	दिया जाता रहा। दिनांक 05.01.1989 को कार्मिक को विश्वविद्यालय ने सेवा से पृथक कर दिया। इसके बाद प्रार्थी ने 240 दिन से अधिक संतोषप्रद कार्य करने के बाद भी हटा देने के आधार पर श्रम न्यायालय अजमेर में वाद दायर किया। इसके बाद से यह प्रकरण लगातार विभिन्न न्यायालयों में चलता रहा। श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर प्रकरण संख्या एस.आई.टी.आर. 07/2014 (सी.आई.एस. नं. एस.आई.टी.आर. 25/2014) रेफरेंस संख्या–एफ.1(1)(496)/श्रे.नि./2014 दिनांक 27.11.2014 एवं प्रकरण संख्या एल.सी.सी. 14/18 (सी.आई.एस. नं. 29/2018) श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री राधाकिशन मार्फत महामंत्री, हिन्द मजदूर सभा कार्यालय 626/24 ''सी'' जादम भवन, नारीशाला रोड, शक्ति नगर, अजमेर बनाम रजिस्ट्रार, म.द.स. विश्वविद्यालय, कायड़ रोड, अजमेर प्रकरणों में माननीय श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर के अवार्ड दिनांक 19.06.2017 एवं 14.06.2019 में ''प्रार्थी श्री कैलाश चन्द को दिनांक 26.06.2014 से 31.03.2018 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम नियमित वेतन श्रृंखला मय भत्ते एवं समस्त परिलाभों के पेटे 11,69,948/- रुपये (अक्षरे ग्यारह लाख उनहत्तर हजार नौ सौ अड़तालीस रुपये मात्र) बकाया होने की संगणना की जाकर अप्रार्थी म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को आदेश दिया गया है कि वह प्रार्थी को उक्त राशि का इस आदेश की तिथि 19.06.2017 से एक माह में भुगतान करे। एक माह में भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी उक्त राशि का आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज भी पाने का अधिकारी होगा।'' अवार्ड पारित किया गया । उक्त अवार्ड के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका (संख्या 7634/2018 एवं 15361/2019 रजिस्ट्रार म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर बनाम श्री कैलाश चन्द) को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 16.01.2026 द्वारा खारिज कर दिया। अतः उक्त न्यायिक आदेश की अनुपालना विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के संबंध में प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की पालना सुनिश्चित की जाये तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी (Officer in charge) एवं	

	अभिभाषक (Advocate) से उनके द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी जाये ।	
मद सं. 06	संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.14(20)शिक्षा-4/2007 जयपुर दिनांक 31.03.2022 में वर्णित प्रावधानों को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2022/16047 दिनांक 04.06.2022 के द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया गया जिसके तहत सहायक के पद के वेतनमान 5500-175-9000 w.e.f. 01-04-1999, G.P. 3600/- w.e.f. 01-09-2006 & 01-04-1999 G.P. 4200/- w.e.f. 01-07-2013 स्वीकृत किया गया। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की जाँच रिपोर्ट में जिन 39 सहायकों एवं अनुभागाधिकारियों से वसूली किये जाने का आक्षेप लगाकर सूचीबद्ध किया गया था, के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश क्रमांक 86598 दिनांक 26.12.2022 के द्वारा 39 सहायकों एवं अनुभागाधिकारियों को सातवें वेतनमान में ग्रेड पे 4200/- एल-11 में एवं ग्रेड पे 4800/- एल-12 में वेतन नियतन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त आदेश केवल इन 39 सहायकों एवं अनुभागाधिकारियों तक ही प्रभावी किया गया था। स्थानीय निधि अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आक्षेप संख्या 02 में वर्णित 69 वरिष्ठ लिपिकों/कनिष्ठ लिपिकों को 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पाँचवें वेतनमान में चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करने पर सहायक पद की वेतन श्रृंखला 5500-175-9000 देयता बनती है एवं कार्मिकों द्वारा समय-समय पर मांग भी की गई परन्तु उक्त का लाभ प्रदान नहीं किया गया तथा इस सम्बन्ध में प्रबन्ध बोर्ड के निर्णयानुसार राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया गया जिसके प्रत्युत्तर में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा से प्राप्त पत्र क्रमांक प.14(20)शिक्षा-4/2007-00005 पार्ट-1 दिनांक 27.03.2024 प्राप्त हुआ जिसमें अंकन किया गया कि प्रकरण में विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक से परीक्षण करवाकर वित्त विभाग की राय/टिप्पणी अनुसार ही आवश्यक कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें, जिसके क्रम में वित्त नियंत्रक महोदय द्वारा दी गई राय अनुसार प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुनः समीक्षा हेतु विचारार्थ रखा जाना था। प्रबंध बोर्ड की 111वीं बैठक दिनांक 19.05.2025 के मद संख्या 25 पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके निर्णयानुसार उक्त प्रकरण में प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों की समिति से राय ली जाकर तद्नुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रबन्ध बोर्ड की 111वीं बैठक दिनांक 19.05.2025 के मद संख्या 25 के	संस्थापन

	निर्णय की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 20151 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक कार्मिकों को 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर सहायक पद की वेतन श्रृंखला 5500-175-9000 की देयता के प्रकरण हेतु 03 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। गठित समिति के सदस्य उपलब्ध नहीं होने के कारण समिति की बैठक आयोजित नहीं हो सकी। सहायक पद की वेतन श्रृंखला 5500-175-9000 की देयता के प्रकरण में समिति के गठन हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर समिति गठन हेतु कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया ।**	
मद सं. 07	विश्वविद्यालय खेल बोर्ड की बैठक दिनांक 19.06.2026 के कार्यवृत्त (कार्यसूची का परिशिष्ट-07)पर विचार कर अनुमोदन करना ।	स्पोर्टस बोर्ड
निर्णय	**खेल बोर्ड के उक्त कार्यवृत्त पर विचार-विमर्श कर, कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 01 को छोड़कर शेष कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं. 08	प्रबंध बोर्ड की 111वीं बैठक दिनांक 19.05.2025 के मद संख्या 24 के निर्णय की अनुपालना में विश्वविद्यालय में स्थिर वेतन पर कार्यरत सहायक कर्मचारियों को पेंशन परिलाभ दिये जाने के संबंध में निम्न समिति गठित की गई थी:- 1. प्रो0 आनन्द पालीवाल -संयोजक डीन-यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर। 2. श्री हेमन्त बालानी, अभिभाषक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर। समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यवृत्त में उक्त प्रकरण के संबंध में अपनी राय दी है कि उक्त कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के मापदण्ड में नहीं आते हैं तथा इन्हें पेंशन देने पर वित्तीय देयता हेतु राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यवाही किया जाना उचित होगा। समिति द्वारा राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गयी ।	संस्थापन

	अतः समिति का कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट-08)	
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया तथा समिति की अनुशंसानुसार राज्य सरकार को पत्र भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं. 09	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले सम्बद्धता शुल्क व आर्थिक दण्ड को पूर्वानुसार रखने, जी.एस.टी. लौटाने तथा परीक्षा केन्द्र निर्धारण व विद्यार्थियों से सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु परीक्षा शुल्क को कम करने हेतु म.द.स. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न निजी महाविद्यालयों द्वारा पत्र (दिनांक रहित) प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	सम्बद्धता अनुभाग
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर परीक्षा की शुचिता एवं विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की पूर्ववत लागू/प्रभावी व्यवस्था को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया तथा जी.एस.टी. विभाग के आदेशानुसार महाविद्यालयों से वसूल की गयी जी.एस.टी. की बकाया राशि, जी.एस.टी. विभाग से विश्वविद्यालय को प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में महाविद्यालयों को लौटायी जाये ।	
मद सं. 10	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के स्वदेशी कंसोर्टियम का संचालन एक प्रतिष्ठित NGO के साथ भागीदारी से संचालित किया जाना है । स्वदेशी कंसोर्टियम एवं NGO के मध्य सहयोग/सहयोगात्मक प्रक्रिया के विस्तृत नियमों का निर्माण किया जाना है । अतः NGO की भागीदारी की अनुमति एवं नियम निर्माण के लिए एक समिति का गठन किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।	नोड़ल अधिकारी, स्वदेशी कंसोर्टियम
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर स्वदेशी कंसोर्टियम का संचालन एक प्रतिष्ठित NGO की भागीदारी से संचालित करने का निर्णय लिया गया तथा स्वदेशी कंसोर्टियम एवं NGO के मध्य सहयोग/सहयोगात्मक प्रक्रिया के विस्तृत नियमों का निर्माण करने के लिए समिति का गठन किये जाने हेतु कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया ।	
मद सं. 11	विद्या परिषद की 82वीं बैठक दिनांक 18 जून, 2026 के निर्णय संख्या 15 की अनुपालना में प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त विश्वविद्यालय	शैक्षणिक अनुभाग

	में महर्षि दयानन्द सरस्वती स्वदेशी कंसोर्टियम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है । स्वदेशी कंसोर्टियम में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों (Courses) का संचालन एवं प्रशिक्षुओं (Internee) को इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी । इन पाठ्यक्रमों के निर्माण हेतु एक पाठ्यक्रम समिति (Committee of Courses) का गठन किया जाना है साथ ही स्वदेशी कंसोर्टियम के अधीन संचालित पाठ्यक्रम, प्रबन्ध अध्ययन संकाय में सम्मिलित किये जाने एवं तद्नुसार संबंधित अध्यादेश में जोड़े जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	प्रकरण पर विचार-विमर्श कर स्वदेशी कंसोर्टियम मे संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों को प्रबन्ध अध्ययन संकाय के अधीन संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए पाठ्यक्रम समिति (**Committee of Courses**) का गठन करने हेतु कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया एवं संबंधित अध्यादेश में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया ।	
मद सं. 12	In accordance with the provisions of Ordinance 124 governing the award of the Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) at Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer, the office of the Dean, Postgraduate Studies (Dean PG) is presently represented in various research-related committees, while the Director, Research also serves as a member of these committees. Consequently, both the Dean PG and the Director, Research attend meetings of the same committee. However, all research-related academic, administrative and regulatory functions are, in practice, coordinated, processed and supervised by the Director, Research through the Research Section of the University. Thus, the existing arrangement results in duplication of representation and administrative overlap. Further, considering the acute shortage of human resources in the University and the prevailing practices in other State-funded Universities of Rajasthan, where either the office of the Dean PG or the Director (Research) alone is entrusted with research administration, it is considered appropriate to ratinalize the existing committee structure. Accordingly, it is proposed that:- 1. The designation of Dean, Postgraduate Studies (Dean PG) be deleted from all research-related committees constituted	शोध अनुभाग

	under Ordinance 124 and other relevant provisions governing research administration. The Director, Research shall serve as the Convener of all research-related statutory and academic committes. 2. The Deputy Registrar/Assistant Registrar (Research) shall function as the secretary of all such committees. 3. All other provisions of Ordinance 124 shall remailn unchanged. The Board of Management is therefore requested to consider and approve the above amendment to Ordinance 124 and permit the incorporation of the necessary changes in the University Ordinances with immediate effect.	
निर्णय	प्रकरण पर विचार-विमर्श कर शोध अध्यादेश 124 में प्रस्तावित उक्त संशोधनों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं. 13	विश्वविद्यालय के सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, रसायनशास्त्र विभाग, प्राणीशास्त्र विभाग एवं वनस्पतिशास्त्र विभाग की प्रयोगशाला हेतु प्रयोगशाला-उपकरण क्रय किये जाने की आवश्यकता है । उक्त विभागों से प्राप्त सूची के अनुसार प्रयोगशाला-उपकरण क्रय किये जाने में अनुमानित लागत राशि रूपये एक करोड़ सत्तर लाख का व्यय होने की संभावना है । अतः उक्त विभागों में प्रयोगशाला उपकरण क्रय करने हेतु राशि रूपये एक करोड़ सत्तर लाख की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	सामान्य प्रशासन अनुभाग
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।	
मद सं. 14	<u>उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-</u> 1. श्री लालाराम जी बैरवा, माननीय विधायक के द्वारा एक पत्रकार के द्वारा उन्हें दिये गये पत्र की प्रति कुलगुरू महोदय को उपलब्ध करवायी गयी। उक्त पत्र का कुलसचिव द्वारा सदन के समक्ष वाचन किया गया । उक्त पत्र, प्रबन्ध बोर्ड की 111वीं बैठक दिनांक 19.05.2025 में योग विभाग में कार्यरत शिक्षक श्री लारा शर्मा एवं श्रीमती असीम जयन्ती के वेतन को बढ़ाने से संबंधित है । उक्त पत्र पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योग विभाग में कार्यरत शिक्षक श्री लारा शर्मा एवं श्रीमती असीम जयन्ती का वेतन बढाने का प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों के साथ पुनः प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।	संस्थापन

		2. प्रो. दिग्विजय सिंह जी शेखावत द्वारा सत्यार्थ सभागार को क्रियाशील (**Functional**) करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर प्रकरण आगामी प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।	अभियन्ता कार्यालय/ सामान्य प्रशासन

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई ।

कुलगुरू

कुलसचिव